कार्यपालक अभियंता,
जल निस्सरण प्रमंडल, सहरसा।
Email eeddsaharsa@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ NO)-05 /2025-26

पत्रांक......................../ सहरसा दिनांक............/.............../2026

कार्यपालक अभियंता जल निस्सरण प्रमंडल, सहरसा के अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं के गहन निरीक्षण एवं उच्चाधिकारियों के बैठक में भाग लेने इत्यादि कार्यो हेतु भाडे पर वातानुकुलित एक अदद स्कार्पियो/ स्कार्पियो नियो एवं इस प्रमंडल के अंतर्गत अवर प्रमंडल पदाधिकारियों हेतु एक अदद स्कार्पियो/ स्कार्पियो नियो (नन ए०सी०) के लिए निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों /फर्मो से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। बंद लिफाफे में दिनांक 10.04.2026 को 3.00 बजे अपराह्न तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा किया जायेगा, जिसे दिनांक 11.04.2026 के अपराह्न 3.00 बजे खोला जायेगा। कोटेशनदाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेंगे।

भाड़े पर वाहन लेने हेतु शर्ते निम्नवत् है:-

1. भाड़े पर वाहन मार्च 2027 तक भाड़े पर लिया जायेगा। व्यवसायिक निबंधन वाले वाहन को ही रखा जायेगा।
2. वाहन का मॉडल 2022 से पूर्व का नहीं होना चाहिये साथ ही वाहन अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलीया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात, टैक्स, बीमा, रोड टैक्स, पैन कार्ड प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज मोटरयान अधिनियम के अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा वाहन की मरम्मति एवं अन्य क्षति होने वाले खर्चो पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा, इसके लिए कार्यालय द्वारा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. वाहन के उपयोग के विरूद्ध किराया प्रतिमाह ईंधन रहित देय होगा।
9. आवेदनकर्ता के वाहन का भौतिक निरीक्षण किये जाने एवं संतोषजनक पाये जाने के उपरांत ही वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह के न्यूनतम दर के कोटेशन दाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना कारण बताये एकारारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।
10. वाहन का मासिक किराया जिला प्रशासन सहरसा के द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होगा।
11. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा न्यूनतम 10 कि०मी० प्रतिलीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
12. बाढ़ एवं कटाव निरोधक कार्य अवधि में वाहन का उपयोग दिन एवं रात दोनों समय में अत्यधिक होता है। अतः इस अवधि में आवश्यकतानुसार वाहन चालक को उपलब्ध कराना होगा ।
13. एकरारित समय सीमा के अन्दर वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूतिकर्ता निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग नहीं करेंगे।
14. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगें, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़ा का भुगतान दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

15. वाहन की भाड़े का भुगतान संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् की जायेगी।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म/वाहन आपूर्तिकर्त्ता उक्त क्रमांक 1 से 15 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नॉटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 5 एवं 6 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति के साथ अपना कोटेशन दिनांक 10.04.2026 तक कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे बंद लिफाफा में 3:00 बजे अपराह्न तक समर्पित करेंगें, जिसे दिनांक 11.04.2026 के 3:00 बजे अपराह्न कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, सहरसा के कार्यालय में खोला जायेगा। वाहन मालिक/फर्म/वाहन आपूर्तिकर्त्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे। सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर एवं एक से ज्यादा समान न्यून दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशन दाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म/वाहन आपूर्तिकर्त्ता का चयन किया जायेगा, जिसकी सूचना (लॉटरी की तिथि) आपूतिकत्ताओं को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये Whats up Number/Email addresss से दी जाएगी। वाहन मालिक/फर्म/वाहन आपूर्तिकर्त्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लॉटरी के समय उपस्थित रहेंगें अन्यथा उनकी या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति बिना भी लॉटरी किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नही होगा। कोटेशन के साथ क्रमांक 5 एवं 6 के कागजात एवं शपथ पत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जायेगा। विशेष जानकारी कार्यालय मे संपर्क कर अथवा कार्यालय सूचना पट्ट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

विश्वासभाजन

28.03.26

कार्यपालक अभियंता,
जल निस्सरण प्रमंडल सहरसा।

पत्रांक 277/ कोपरिया, दिनांक 28/03/2026

प्रतिलिपि :–सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं हिन्दी में एक प्रति (सॉफ्ट तथा हार्ड प्रतियों में) विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु तथा कम से कम दो लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशन हेतु समर्पित किया जाता है।

28.03.26

कार्यपालक अभियंता,
जल निस्सरण प्रमंडल, सहरसा।

Scanned with OKEN Scanner